प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर....(थाना) ...प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।
(प्र.सू.रि.स.) .....112/2023..... (दिनांक) .....9/5/2023.....

2 I (अधिनियम).....7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 201 भा.द.सं.
II (अधिनियम)..... (धाराए) .....
III (अधिनियम) ..... (धाराए) .....
Iअ (अन्य अधिनियम एवं धाराए) .....

3. (क) (दिन).....सोमवार.....(दिनांक से).....08.05.2023.....(दिनांक तक).....
(ख) (पहर) 02.25 पी.एम. (बजे से)..... (बजे तक) .....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना).....(दिनांक) .....(समय) .....
(रोजनामचा संदर्भ) .....(प्रविष्टि सं.) .....197.....(समय) .....7:40 P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक).....लिखित रिपोर्ट .....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 75 कि.मी....
(ख) (पता)..... पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर.....
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) .....
(थाने का नाम) .....(जिला) .....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) .....श्री जोहरी लाल .....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... श्री बद्रीलाल बैरवा .....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष).....47 वर्ष.....(घ) (राष्ट्रीयता).....भारतीय.....
(ड.) (पासपोर्ट सं.) .....
(जारी करने की तिथि) .....(जारी करने का स्थान) .....
(च) (व्यवसाय) .....
(छ) (पता).. ग्राम छावा, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. पूरण चन्द पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति जाटव, उम्र 53 वर्ष, निवासी सैंगरपुरा, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली, हाल उप0निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) .....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) .....
मांगी गई रिश्वती राशि 5000/–रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,ए.सी.बी सवाई माधोपुर। विषय :–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाये जाने के सम्बंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं छाबा गॉव, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी पुत्री मनीषा का विवाह वर्ष 2021 में गॉव ककराला तहसील बामनवास रोहित पुत्र स्व0 परसराम निवासी ककराला के साथ किया था। किन्तु मेरी पुत्री मनीषा का पति रोहित व उसके ससुराल वाले उसे आये दिन दहेज के लिये परेशान करते रहते थे। इस पर मेरी पुत्री मनीषा ने कोर्ट के मार्फत दिनांक 31.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी में दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके एफआईआर नम्बर 121/2023 है। जिसकी जॉच पुलिस थाना गंगापुर सिटी कोतवाली के पूरण चन्द जी थानेदार साहब कर रहे है। मैं मेरी पुत्री मनीषा के केस के सम्बन्ध में पूरण चन्द जी से मिला तो उन्होने हमारे केस में कार्यवाही करने के लिये मेरे से दस हजार रूपये की मांग की। जिस पर पूरण जी को मैंने दो किस्तो में पांच हजार रूपये दे चुका हूँ। लेकिन पूरण चन्द जी अब भी मुझे रिश्वत के लिये परेशान करते है। पूरण चन्द जी ने मेरे से कहा की जब तक तू पूरे पैसे नही देगा तब तक

Jiveusoni

कार्यवाही आगे नही बढेगी। मैं पूरण जी के पास जब भी जाता हूँ, वो मेरे से शेष रिश्वती राशि के सम्बन्ध में कहते है। मैं पूरण जी को अब रिश्वती राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूँ। मेरी पूरण सिंह जी थानेदार जी से कोई पुराना लेन देन व रंजीश नहीं है। रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी हस्ता0 जोहरी लाल पुत्र श्री बद्रीलाल बैरवा, जाति बैरवा, उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम छावा, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर मो0नं0 8875465495 दिनांक :– 06.05.2023

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.05.2023 समय करीब 10:45 ए.एम. पर परिवादी श्री जोहरीलाल पुत्र बद्रीलाल, जाति बैरवा, उम्र 47 वर्ष, निवासी गॉव छाबा, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड के लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर को सम्बोधित करते हुये मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को इस आशय की पेश की कि मैं छाबा गॉव, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी पुत्री मनीषा का विवाह वर्ष 2021 में जयपुर निवासी रोहित पुत्र परसराम निवासी जयपुर के साथ किया था। किन्तु मेरी पुत्री मनीषा का पति रोहित व उसके ससुराल वाले उसे आये दिन दहेज के लिये परेशान करते रहते थे। इस पर मेरी पुत्री मनीषा ने कोर्ट के मार्फत दिनांक 31.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी में दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके एफआईआर नम्बर 121/2023 है। जिसकी जॉच पुलिस थाना गंगापुर सिटी कोतवाली के पूरण सिंह जी थानेदार साहब कर रहे है। मैं मेरी पुत्री मनीषा के केस के सम्बन्ध में पूरण सिंह जी से मिला तो उन्होने हमारे केस में कार्यवाही करने के लिये मेरे से दस हजार रूपये की मांग की। जिस पर पूरण जी को मैंने दो किस्तो में पांच हजार रूपये दे चुका हूँ। लेकिन पूरण सिंह जी अब भी मुझे रिश्वत के लिये परेशान करते है। पूरण सिंह जी ने मेरे से कहा की जब तक तू पूरे पैसे नही देगा तब तक कार्यवाही आगे नही बढेगी। मैं पूरण जी के पास जब भी जाता हूँ, वो मेरे से शेष रिश्वती राशि के सम्बन्ध में कहते है। मैं पूरण जी को अब रिश्वती राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूँ। मेरी पूरण सिंह जी थानेदार जी से कोई पुराना लेन देन व रंजीश नहीं है। एफ.आई.आर कोपी संलग्न है। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट एवं परिवादी द्वारा पेश एफआईआर की प्रति एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर उपार्जित अवकाश पर होने पर श्रीमान को अब तक के सम्पूर्ण हालात जरिये दूरभाष अवगत कराया, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात समय–11:30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया गया रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मंगवा कर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री जोहरी लाल को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। इसके पश्चात समय–01:00 पी.एम. पर परिवादी श्री जोहरी लाल एवं श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को मय वाईस रिकार्डर के बाद हिदायत आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय–05:30 पी.एम. पर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 उपस्थित कार्यालय आया और मन पुलिस निरीक्षक को वाईस रिकार्डर देते हुये बताया कि मैं और परिवादी श्री जोहरी लाल कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के पास पहुंचे जहां मैने परिवादी को वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर दे दिया था और मैं वहीं पर आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये वहीं पर मुकीम हो गया था। कुछ देर बाद परिवादी श्री जोहरी लाल मेरे पास आया, जिससे मैने वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने बताया की मैं आपके

Vinay Soni

[redacted]

पास से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी चला गया, जहां पर मुझे पूरण सिंह जी थानेदार साहब मिले मैने उनसे मेरे केस के बारे में बातचीत की तो उन्होने मेरे से कहा की मैने उनको मुल्जिम बना दिये है और अब फाईल कोर्ट में जाएगी। पूरण सिंह जी ने मेरे से कहा कि बताओ तो मैने कहा की आप बताओ इस पर पूरण सिंह जी ने कहा की यहां पर कैमरे लग रहे है, वहां चलते है। इसके बाद पूरण जी मुझे दूसरे कमरे में ले गये और उन्होने मेरे से मेरे द्वारा दर्ज करवाये मुकदमे में कार्यवाही करने की एवज में 5,000/–रू. रिश्वत की ओर मांग की तो मैने कहा की मैं पहले आपको पांच हजार रूपये दे चुका हूँ। इसके बाद पूरण सिंह जी और मैं उस कमरे से बाहर आ गये तो मैनें उन्हे 15,00 रूपये दिये, जिस पर पूरण जी ने मुझे पाच सौ रूपये लोटाते हुये कहा कि यार किश्तो में देना ठीक नही रहता है। मैने कहा की एक–दो दिन में पूरे ही दे जाउंगा। इसके बाद परिवादी मेरे पास आ गया जिससे मैने वाईस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने कहा कि मैने पूरण सिंह जी से एक–दो दिन का समय लिया है। मैंरे पास रिश्वती राशि की व्यवस्था होते ही मैं सोमवार को आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मुझ कानि0 द्वारा परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर वहीं से रूखसत कर दिया था। मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय में आ गया। इस पर वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से अटैच करवा कर टेबल स्पीकर अटैच करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी श्री जोहरी लाल व आरोपी पूरण सिंह एस.आई पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर की रिश्वत मांग सत्यापन होना पायी गयी। इस वाईस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं डब डी.वी.डी. पृथक से तैयार की गई। दिनांक 08.05.2023 को समय 10:00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री जोहरी लाल कार्यालय हाजा में उपस्थित आया जिसे कार्यालय हाजा में बिठाया गया। इसके पश्चात समय–10:15 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री रामकेश कानि. 98 को प्राचार्य पोलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय–10:50 ए.एम. पर श्री रामकेश कानि. 98 राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर से दो स्वतंत्र गवाहान लेकर उपस्थित कार्यालय आया। श्री रामकेश कानि. के हमराह आये हुए स्वतंत्र गवाहान से परिचय पूछा तो उन्होने अपने नाम क्रमशः श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद कुमार शर्मा, उम्र 38 वर्ष, जाति ब्राहम्मण, निवासी नई अनाज मंडी, महावीर नगर, पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर हाल प्रवक्ता भौतिकी राज0 पॉलि0 महाविधालय, सवाई माधोपुर एवं 2. श्री रामसिंह मीना पुत्र श्री रामकेश मीना, उम्र 32 वर्ष, जाति मीना, निवासी 229, ग्राम व पोस्ट– हाडौती, तहसील सपोटरा, जिला करौली हाल प्रवक्ता यांत्रिकी राज0 पॉलि0 महाविधालय, सवाई माधोपुर होना बताया तथा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी जोहरी लाल से स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.05.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी जोहरी लाल एवं आरोपी पूरण सिंह एस.आई. के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की मौजूदगी में सुनाया गया एवं अब तक की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। इसके पश्चात समय 11:30 ए..एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जोहरीलाल पुत्र बद्रीलाल, जाति बैरवा, उम्र 47 वर्ष, निवासी गॉव छाबा, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर से मांगने पर आरोपी पूरण सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 10 नोट अर्थात कुल 5,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	8 ND 156721
2.	एक नोट 500 रूपये का	4 EN 580878
3.	एक नोट 500 रूपये का	9 EK 911151

4.	एक नोट 500 रूपये का	9 DC 776366
5.	एक नोट 500 रूपये का	9 CT 846331
6.	एक नोट 500 रूपये का	0 RM 239123
7.	एक नोट 500 रूपये का	3 GP 490719
8.	एक नोट 500 रूपये का	7 LF 547151
9.	एक नोट 500 रूपये का	0 LK 966315
10.	एक नोट 500 रूपये का	0 LK 966338

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 से मालखाने में रखे फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर उक्त कानि0 से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री जोहरी लाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अरविन्द शर्मा, प्रवक्ता से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/–रूपयो को परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री रामसिंह मीना प्रवक्ता से एक कांच के साफ मग में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री रामसिंह मीना प्रवक्ता से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त मग के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मग के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो मग के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 से मग के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 के दोनो हाथों एवं मग को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जोहरी लाल एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को कार्यालय में बुलाकर समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस निरीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री जोहरी लाल को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 11:45 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई आपत्तीजनक वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में ट्रेप पार्टी सदस्यो को बताया गया। अब तक के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को अवगत कराये गये। श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी मय परिवादी श्री जोहरी लाल मय स्वतंत्र गवाहान श्री अरविन्द शर्मा प्रवक्ता, श्री रामसिंह मीना प्रवक्ता मय श्री

रामकेश कानि0 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण के एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री संजय कुमार कानि0 चालक, श्री हम्मीर सिंह कानि0, श्री भोलाराम कानि0, श्री राजवीर सिंह कानि0 मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु गंगापुर सिटी के लिये रवाना होता हूं। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर क0स0 को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। तत्पश्चात समय–01:45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी सहित मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा गंगापुर सिटी के पास पहुंचा। निजी वाहनो को सडक के किनारे सुरक्षित खडा करवाया जाकर परिवादी श्री जोहरी लाल को आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत कर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे–पीछे श्री राजवीर सिंह कानि, श्री हम्मीर सिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाहान श्री अरविन्द शर्मा, श्री रामसिंह को मुनासिफ हिदायत कर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवारी के नियत ईशारे के इन्तजार में अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय–02:25 पी.एम. पर परिवादी श्री जोहरी लाल ने पुलिस थाना कोतवाली के गेट के पास आकर मन पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराकर हमराह साथ लेकर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी गेट के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री जोहरी लाल उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जोहरी लाल से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा पूछने पर परिवादी जोहरी लाल ने मन पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की पूरण जी ने मेरे से पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के कमरा नम्बर 103 में रखे पलंग के सिराने पर तखीये के नीचे रखवा दिये थे और पूरण सिंह जी ने मुझे वहां से भेज दिया था तथा मेरे पीछे–पीछे पूरण सिंह जी भी नीचे आ गये थे, आपको और आपको टीम को देखकर तथा मेरे पर शक होने से पूरण सिंह जी अपने क्वार्टर की तरफ चले गये है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के आरोपी पूरण सिंह के क्वार्टर की तरफ गये, तो एक व्यक्ति जो बावर्दी में तेज गति से जाता हुआ नजर आया, जिसे देखकर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया की यही पूरण सिंह थानेदार है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान की मदद से उक्त व्यक्ति को भागकर पकडा तथा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता पूरण सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पूरण सिंह को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा आरोपी से उसके निवास के बारे में पूछा तो उसने पास में ही थाना परिसर में बने एक कमरानुमा क्वार्टर को स्वंय के रहने का स्थान बताया। जिस पर आरोपी पूरण सिंह को हमराह लेकर मय हमराहीयान मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान के उक्त कमरेनुमा क्वार्टर में लेकर पहुंचा, जहां पर आरोपी पूरण सिंह तसल्लीपूर्वक परिवादी से किस सम्बन्ध में रिश्वत लेने बाबत पूछा तो आरोपी ने कहा की मैने जोहरीलाल से कोई रिश्वत नही ली है। इस पर पास में खडे परिवादी जोहरीलाल ने आरोपी पूरण सिह की बात का खण्डन करते हुये बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर मुझे पूरण सिंह जी थानेदार जी मिले जो मुझे अपने साथ पुलिस थाना कोतवाली के प्रथम तल पर कमरा नम्बर 103 में ले गये, जहां पर पूरण सिंह जी से मैने मेरे केस के सम्बन्ध में बातचीत की उसके बाद पूरण सिंह जी ने मेरे से कमरा नम्बर 103 में रखे पलंग के सिराने पर रखे तखिये के नीचे रिश्वत राशि पांच हजार रूपये रखने का ईशारा किया इस पर मैने कहा कि गिन लो तो पूरण सिंह जी ने कहा कि मैं नही गिनूंगा, इसके पश्चात पूरण सिंह जी ने मेंरे से रिश्वती राशि पांच हजार रूपये को तखिये के नीचे रखवाकर मुझे वहां से भेज दिया तथा मेरे पीछे–पीछे नीचे आकर मेरे से कहा की तेरा काम हो जावेगा। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली के गेट पर पहुंचकर आपको रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया था, पूरण सिंह जी भी पुलिस थाने के गेट पर ही खडे थे जो आपको और आपकी टीम को देखकर तथा मेरे पर शक होने पर वहां से अपने क्वार्टर की तरफ रवाना हो गये थे। मैने दिनांक 06.05.2023 को आपके कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर में आकर पूरण सिंह थानेदार जी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत प्रार्थना दिया था, जिस पर आप द्वारा उसी दिन आपने आपके कार्यालय के कर्मचारी हम्मीर सिंह को मेरे साथ रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी भेजा था। दिनांक 06.05.2023 को मैने पूरण सिंह जी से मैने मेरे केस के सम्बन्ध में बातचीत की थी, पूरण सिंह जी उसी दिन मेरे से पांच हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गये थे तथा मेरे एक हजार रूपये भी ले लिये थे। तथा शेष राशि एक–दो दिन में देने के लिये कहा था तथा आज दिनांक 08.05.2023 को पूरण सिंह जी ने मेरे 5000/–रू. मांग कर पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के प्रथम तल पर बने कमरा नम्बर 103 में कमरे के अन्दर पलंग के सिराने पर रखे तखिये के नीचे रखवा लिये थे। इस पर आरोपी पूरण सिंह एस.आई घबरा गया और कहने लगा की जोहरी लाल से मैने कोई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत नही की है और नाही रिश्वत राशि ली। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी

Vinay Soni

पूरण सिंह से रिश्वत राशि पांच हजार रूपये के बारे में पूछा तो कोई जबाब नही दिया, इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रामसिंह मीना से आरोपी पूरण सिंह की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी पूरण सिंह के पहनी हुई बर्दी की पेन्ट के पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रखे पर्स में पांच–पांच सौ के 22 नोट कुल ग्यारह हजार रूपये मिले। उक्त 500–500 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो से मिलान किया गया तो उक्त नोटो के नम्बरो का रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो से मिलान नही हुआ। अतः उक्त राशि का रिश्वत राशि से कोई सम्बन्ध नही है ऐसी स्थिति में उक्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री रामसिंह मीना के पास पृथक से सुरक्षित रखवाया गया चूंकी राशि अधिक है जिनके बारे में पूछताछ कर पृथक से अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इस पर आरोपी से पुनः रिश्वती राशि के बारे में पूछा किन्तु आरोपी ने कोई जबाब नही दिया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना कोतवाली के प्रथम तल पर बने कमरा नम्बर 103 के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया की मैं कमरा नम्बर 103 में अपना तप्तीश व राजकार्य करता हूँ, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय आरोपी मय हमराहीयान के पुलिस थाना कोतवाली के प्रथम तल पर बने कमरा नम्बर 103 कमरे में पहुंचा। जहां पर उक्त कमरे की तलाशी ली तो उक्त कमरे में कई सारी पत्रावली रखी हुई थी व एक टेबिल जिसके उपर एक लेपटॉप रखा था तथा कमरे के अन्दर एक पलंग बिछा हुआ था, उक्त कमरे के अटेच में लेटबाथ भी थे। उक्त कमरे की तलाशी मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के द्वारा ली गई किन्तु रिश्वत राशि नही मिली। आरोपी पूरण सिंह से पुनः रिश्वत राशि के सम्बन्ध पूछा गया किन्तु आरोपी पूरण सिंह चुपचाप रहा कोई जबाब नही दे रहा है। इस पर परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि इस पलंग के सिराने पर रखे तखिये के नीचे पूरण सिंह जी ने मेरे से रिश्वत राशि रखवायी थी। इस पर काफी तलाश पतारसी के बाद भी रिश्वत राशि नही मिलने पर पलंग के सिराने रखे तखिया जिसके नीचे आरोपी पूरण सिंह द्वारा रिश्वत राशि पांच हजार रूपये रखवायी गयी थी, उक्त तखिये की खोली को तखिये से स्वतंत्र गवाह रामसिंह से निकलवाकर उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवायी गयी। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय आरोपी मय हमराहीयान के उक्त कमरा नम्बर 103 से रवाना होकर थाना परिसर में बने हुये आरोपी के रहने वाले कमरानुमा क्वार्टर में पहुंचा, जहां पर उक्त कमरे की तलाशी ली किन्तु रिश्वत राशि नही मिली। आरोपी पूरण सिंह से पुनः रिश्वत राशि के सम्बन्ध पूछा गया किन्तु आरोपी पूरण सिंह चुपचाप रहा कोई जबाब नही दे रहा है। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय आरोपी मय हमराहीयान के उक्त कमरे से रवाना होकर थानाधिकारी कक्ष में पहुंचा, जहां पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी पूरण सिंह उप0निरीक्षक से तसल्लीपूर्वक पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता पूरण सिंह पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति जाटव, उम्र 53 वर्ष, निवासी सैंगरपुरा, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली, हाल उप0निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर होना बताया इसके बाद ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बोक्स में से दो कांच के मग निकलवाकर उनको गवाह श्री अरविन्द शर्मा से साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से थाना परिसर से पानी मंगवाया जाकर दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह अरविन्द शर्मा से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे का ढक्कन खुलवाकर दोनो मगो में थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी पूरण सिंह उप0निरीक्षक के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग गंदमेला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2, एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त गवाह अरविन्द शर्मा से दोनो मगो को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी पूरण सिंह उप0निरीक्षक द्वारा परिवादी जोहरी लाल से पुलिस थाना कोतवाली के प्रथम तल पर बने कमरा नम्बर 103 में पलंग के सिराने पर रखे तखिये के निचे रखवायी गयी रिश्वत राशि पांच हजार रूपये की खोली जो गवाह रामसिंह के पास रखवायी थी को स्वतन्त्र गवाह श्री अरविन्द शर्मा से एक बोतल में पानी भरवाया जाकर एक मग में उक्त गवाह से साफ पानी से अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से मग में पानी डलवाया गया व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर मग में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में उक्त खोली को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट

Vinay Soni

व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा उक्त खोली को सुखवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपित पूरण सिंह उप0निरीक्षक से परिवादी श्री जोहरीलाल के कार्य से संबंधित प्रकरण संख्या 121/2023 की पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपित पूरण सिंह ने बताया कि उक्त पत्रावली को कानूनी राय हेतु एसीजेएम कोर्ट के एपीपी जिनका मैं नाम नही जानता हूँ, के पास भेज रखी है। इस पर थानाधिकारी श्री करण सिंह जी को थानाधिकारी कक्ष में बुलाकर उक्त पत्रावली के बारे में पूछा तो उक्त पत्रावली ब्रीफ में होना बताया तथा थाना हाजा के सीसीटीएनस सोप्टवेयर से प्रकरण संख्या 121/2023 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भादस की एफआईआर की प्रति सहित पृष्ठ संख्या 01 लगायत 19 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जिसका अवलोकन कर कब्जा एसीबी ली गई। इसके पश्चात परिवादी श्री जोहरी लाल को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी जोहरी लाल एवं आरोपी पूरण सिंह उप0निरीक्षक के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी पूरण सिंह उप0 निरीक्षक से बार–बार रिश्वत राशि के बारे में पूंछा किन्तु आरोपी कोई जबाव नही दे रहा है और अलग–अलग बहाने बना रहा है। आरोपी के दोनो हाथों एवं तकिये की खोली की धुलाई से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किया जाना स्पष्ट है, आरोपी को ट्रेप कार्यवाही की भनक/परिवादी पर शक होने के कारण आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को ऐसे स्थान पर छिपा दिया है या खुर्द बुर्द कर दिया है, जिससे रिश्वत राशि बरामद नही हो पायी। अतः आरोपी द्वारा ही रिश्वत राशि को खुर्द–बुर्द कर साक्ष्य से छेडछाड की गई है। परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 06:15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जोहरी लाल की मौजूदगी में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय– 06:55 पी.एम. पर आरोपी पूरण सिंह उप0निरीक्षक के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में होने के कारण आरोपी के पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में रहने वाले स्थान एवं कार्य करने वाले कमरे की तलाशी ली जा चुकी है एवं स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इस कारण आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी लेने का कोई औचित्य नही होने से खाना तलाशी नही ली गई। इसके पश्चात समय– 07:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अभियुक्त पूरण सिंह पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति जाटव, उम्र 53 वर्ष, निवासी सैंगरपुरा, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली, हाल उप0निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 201 भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने एवं रिश्वत राशि बरामदगी हेतु जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय– 07:25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पूरण सिंह उप0 निरीक्षक मय जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क आरएच–1, आरएच –2, एलएच–1, एलएच–2, पी–1, पी–2, व शील्ड पैकेट मार्क "पी" व वजह सबूत संदिग्ध राशि 11,000/–रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप कार्यवाही प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिए रवाना होकर समय– 10:30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पूरण सिंह उप0 निरीक्षक मय जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क आरएच–1, आरएच –2, एलएच–1, एलएच–2, पी–1, पी–2, व शील्ड पैकेट मार्क "पी" व वजह सबूत संदिग्ध राशि 11,000/–रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के गिरफ्तारशुदा अभियुक्त पूरण सिंह उप0 निरीक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण की जांच सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूँ। जहां पर श्री रामकेश कानि0 98 को उक्त माल सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अभियुक्त को कार्यालय में जाप्ता निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात समय– 10:45 पी. एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 06.05.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी

से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव सेन डिस्क कम्पनी तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 09.05.2023 को समय– 01:00 ए.एम. पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता परिवादी श्री जोहरी लाल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 08.05.2023 को परिवादी जोहरी लाल व आरोपी पूरण चन्द उप0 निरीक्षक के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी जोहरी लाल से करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप तैयार करवाकर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व दो डीवीडी क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 04:05 ए.एम. पर मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क A, B कुल 2 को एवं मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क A, B कुल 2 को श्री रामकेश कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। रिश्वत राशि बरामदगी शेष होने के कारण स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय में रोका गया। समय– 06:00 ए.एम. पर आरोपी पूरण चन्द से पुनः रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया किन्तु आरोपी ने रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बताया की जोहरी लाल ने ना तो मुझे रिश्वत राशि दी और मुझे पता नही कि इसने कहां पर रख दिये या किसको दिये मुझे इसका पता नही है। रिश्वत राशि बरामद होना शेष है, इसलिये नमूना नष्ट शील नही की गई। अतः आरोपी का पी0सी0 रिमाण्ड लिया जाकर गहनता से पूछताछ कर आईन्दा रिश्वत राशि के बरामदगी के प्रयास किये जाऐंगे।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त पूरण चन्द उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री जोहरीलाल से परिवादी की पुत्री मनीषा द्वारा कोर्ट के मार्फत दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 121/2023 में परिवादी के पक्ष में कार्यवाही करने की एवज में दस हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की तथा आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में दो किस्तो में पांच हजार रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से एक हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त करना तथा शेष 5000/–रू. रिश्वत की ओर मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 08.05.2023 को स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। उक्त मांग के अनुसरण में अभियुक्त पूरण चन्द उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के प्रथम तल पर कमरा नम्बर 103 में रखे पलंग के सिराने पर रखे तखिये के नीचे पांच हजार रूपये रिश्वत राशि रखवाना तथा ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण रिश्वत राशि को खुर्द–बुर्द करना या ऐसी जगह पर छिपा देना जो तलाश करने पर भी नही मिलना। आरोपी पूरण चन्द उप निरीक्षक का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 201 भा.द.सं. में बनना पाया जाने पर आरोपी को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि बरामद किया जाना शेष है। अतः अभियुक्त पूरण चन्द पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति जाटव, उम्र 53 वर्ष, निवासी सैंगरपुरा, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली, हाल उप0निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 201 भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

Vivek Soni

(विवेक सोनी)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 201 भादंसं में आरोपी श्री पूरण चन्द, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 112/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 844-47 दिनांक 9.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

9.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।